HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Misc 2nd Suspension Of Sentence Application (Appeal) No.2244/2025
In
S.B. Criminal Appeal (Sb) No. 1544/2019

Hari Singh @ Hari @ Hari Om @ Vikas S/o Hajari Lal B/c Meena, R/o Village Pilodi, Police Station Manpur, Distt. Dausa Raj. (At Present Accused Petitioner Confined In Central Jail Ajmer)

----Appellant

Versus

State Of Rajasthan, Through P.p.

----Respondent

For Petitioner(s)	:	श्री किरोड़ी लाल मीणा
For Respondent(s)	:	श्री जयप्रकाश तिवाड़ी, लोक अभियोजक

HON'BLE MR. JUSTICE VINOD KUMAR BHARWANI

Order

25-02-2026

अपीलार्थी/अभियुक्त की ओर से विचारण न्यायालय **अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश (महिला उत्पीड़न प्रकरण) अजमेर** द्वारा सेशन प्रकरण संख्या–**43/2016, सरकार बनाम मन्तोष व अन्य** में पारित निर्णय व दंडादेश दिनांक 26.06.2019 के विरूद्ध यह द्वितीय सजा स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसके द्वारा अभियुक्त को आरोपित अपराधों में दोषसिद्ध किया जाकर अर्थदण्ड सहित अधिकतम पांच वर्ष के साधारण कारावास से दण्डित किया गया है ।

बहस सुनी गई।

विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी का तर्क रहा है कि पूर्व में दिनांक 09.09.2019 के आदेशानुसार अपीलार्थी/अभियुक्त का सजा स्थगन प्रार्थना पत्र स्वीकार किया था परन्तु अपीलार्थी के उपस्थित नहीं होने के कारण उसका सजा स्थगन आदेश दिनांक 28.08.2024 को निरस्त किया जाकर उसका

गिरफ्तारी वारण्ट जारी किया गया था । अपीलार्थी वर्तमान में न्यायिक अभिरक्षा में है, न्यायालय के समक्ष उसकी अनुपस्थिति सद्भाविक रही है, प्रस्तुत अपील के निस्तारण में समय लगेगा, अतः सजा स्थगन प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे।

इसके विपरीत विद्वान लोक अभियोजक ने सजा स्थगन प्रार्थना पत्र का विरोध किया।

हमने उभयपक्षों के तर्कों पर मनन किया, पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों एवं याचिका के निस्तारण में समय लगने की संभावना को ध्यान में रखते हुए यह सजा स्थगन प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

परिणामतः अपीलार्थी/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत यह द्वितीय सजा स्थगन प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि यदि अपीलार्थी/अभियुक्त इस मामले में रजिस्ट्रार न्यायिक, राजस्थान उच्च न्यायालय, पीठ–जयपुर के संतोषप्रद 1,00,000/– रूपए (**अक्षरे एक लाख रूपये)** का व्यक्तिगत बंधपत्र एवं 50,000–50,000/–रूपए (**अक्षरे पचास–पचास हजार रूपये)** की दो सुदृढ़ एवं विश्वसनीय प्रतिभूतियां इस आशय की प्रस्तुत कर दे कि वह इस न्यायालय में दिनांक **25.03.2026** को एवं तत्पश्चात् जब भी उसे आदेशित किया जावे, उपस्थित होता रहेगा, तो अपीलार्थी/अभियुक्त **हरि सिंह उर्फ हरि उर्फ हरिओम उर्फ विकास पुत्र हजारी लाल** को अविलम्ब जमानत पर रिहा कर दिया जाए।

विचारण न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त आक्षेपित निर्णय के तहत दिए गए दण्डादेश (sentence) का क्रियान्वयन कारावास की सीमा तक इस अपील के अन्तिम निर्णय तक स्थगित रखा जाता है।

(VINOD KUMAR BHARWANI),J

Rishikesh Soni/47